

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक शीडर/2025/10275
प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 31/12/2025
अप्रार्थीगण

1 पदमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति
कुम्हार निवासी काउ का खेडा
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 रेवन्ताराम पुत्र लुणाराम वगैराह जाति
कुम्हार निवासी काउ का खेडा तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या : 555/2025

दिनांक-23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा काउ का खेडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 903/111 रकबा 1.8454 हैक्टेयर व खसरा संख्या 912/448 रकबा 0.0913 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- शीडर/2025/10276-10279
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 31/12/2025

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवारा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पदमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति कुम्हार निवासी काउ का खेडा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रेवन्ताराम पुत्र लुणाराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी काउ का खेडा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

